



सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42/1231

दिनांक 03/7/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम: C/o Govt.Sr.Sec. School at Madanpur Khadar, Phase-III, N.Delhi.
(SH: Civil and Electrical Composite work),
Agreement No. : 37/EE/CBMD M-423/PWD/14-15

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 03.07.2015 को कार्यपालक अभियन्ता एम-423, सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के प्रतिनिधि के साथ उपरोक्त कार्य का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

- 1 कार्यस्थल पर करार की शर्तों के अनुसार सुरक्षा संहिता, कामगारों के स्वास्थ्य, साफ-सफाई के लिए आदर्श नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । कार्यस्थल पर छोटे-छोटे बच्चे खेलते पाए गए जो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं । ऐसा ही अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 12.05.2015 को हुए निरीक्षण के दौरान पाया था । कार्यपालक अभियन्ता ठेकेदार को सुरक्षा संहिता तथा कर्मगारों के साफ-सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था के आदर्श नियमों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दें ।
- 2 कार्यस्थल पर उपलब्ध ईटों की गुणवत्ता सही नहीं है । कार्यपालक ने पहले ही उन्हें कार्यस्थल से हटाने का निर्देश दिया है परन्तु इसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई । खराब ईटों को तुरन्त कार्यस्थल से हटाया जाये ।
- 3 कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत की गुणवत्ता भी सही नहीं है । उपलब्ध रेत जो चिनाई के लिए प्रयोग की जा रही है, उसमें पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों की मात्रा तथा महीन रेत की मात्रा बहुत अधिक है । इस रेत से जो चिनाई की जा रही है वह भी ठीक नहीं है । ईट की चिनाई में कई स्थानों के जोड़ की मोटाई 2-3 से.मी. तक पायी गई और ए.सी.सी. ब्लॉक की चिनाई में भी ऐसा ही देखा गया । कार्यस्थल से खराब गुणवत्ता की रेत को हटाया जाये और विनिर्देशों के अनुसार सही गुणवत्ता की रेत लायी जाये ।

- 4 कार्य में प्रयोग किए जाने वाला ए.ए.सी. ब्लॉक की चिनाई सही नहीं की गई है । उनमें चिनाई के जोड़ बहुत ही मोटे हैं । कुछ जोड़ों की मोटाई 3-4 से.मी. तक पायी गई । कुछ जोड़ खाली पाए गए । कार्य में प्रयोग किए गए कुछ ब्लॉक के कोने तथा किनारे टूटे हुए हैं परन्तु उन्हें भी कार्य में प्रयोग किया गया है । सही गुणवत्ता की रेत के साथ बनाये गए मसाले का प्रयोग किया जाये । कार्यस्थल पर एक क्लासरूम सैम्पल के तौर पर तैयार किया जाये और जिसमें बिजली के Conduit इत्यादि भी लगाए जाये जिससे इसे जांच एवं अनुमोदन के पश्चात् बाकी का कार्य किया जाये ।
- 5 आर.सी.सी. कॉलम जो 4-5 तल पर कॉस्ट किये जा रहे हैं उनमें कई कॉलम में सरिये के जोड़ Stagger नहीं किए गए हैं । ऐसे सरिये निकाल कर उन्हें अलग-अलग उंचाई पर लगाये और अंतिम लेवल पर संरचनात्मक नक्शों के अनुसार बीम में मोडा जाये ।
- 6 तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण की जांच रिपोर्ट कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थी, कृपया रिपोर्ट की एक प्रति इस कार्यालय को भेजें ।
- 7 वैद्युत कार्यों के लिए एसोशिएट एजेंसी का विवरण कार्यस्थल पर उपलब्ध रखा जाये और वैद्युत मद्दों का निष्पादन भी साथ-साथ किया जाये ।
- 8 कुछ स्थानों पर नींव में जहां भराई नहीं की गई है, काफी मात्रा में बरसात का पानी एकत्र हो गया है । ऐसे स्थलों पर मिट्टी की शीघ्र भराई की जाये ।

²
 70 अधीक्षण अभियंता
 सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
 सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ. भवन. नई दिल्ली
- 2 कार्यपालक अभियंता एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली

²
 70 अधीक्षण अभियंता